



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052021-226976
CG-DL-E-12052021-226976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 2021/वैशाख 22, 1943

No. 259]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 2021/VAISAKHA 22, 1943

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2021

सा.का.नि. 325(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2021 के द्वारा देश में कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में प्रारूप उपबंध प्रकाशित किए हैं;

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ) तारीख 22 अप्रैल, 2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित शुद्धि पत्र जारी करती है अर्थात्:-

शुद्धि पत्र

उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना के अंतिम पैरा में "ई-मेल आईडी: moefcc.coalash@gov.in" के स्थान पर "ई-मेल आईडी : moefcc-coalash@gov.in" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. एचएसएम-9/1/2019 एचएसएम]

जिगमेत टक्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : यह अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 285(अ), तारीख 22 अप्रैल 2021 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2021

G.S.R.325(E).—Whereas by the Notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 285(E), dated the 22nd April, 2021, the Central Government published a draft provisions on ensuring 100% utilisation of ash by coal and lignite based thermal power plants in the country;

In exercise of the powers conferred upon by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby issues the following corrigendum to the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forest, Climate Change number G.S.R. 285(E) dated 22nd April, 2021 namely:-

Corrigendum

In the said notification, in the last para of the preamble, for “e-mail id: moefcc.coalash@gov.in”, shall be substituted with “e-mail id: moefcc-coalash@gov.in”.

[F. No. HSM-9/1/2019-HSM]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 285(E), dated the 22nd April, 2021.